

**झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग**

**अधिसूचना**

अधि०सं०-8/गठन/101/2018/न०वि०आ०/.....4305

राँची, दिनांक 23/08/18

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-49(1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, राँची नगर निगम, राँची के अन्तर्गत वार्डों के वार्ड पार्षदों को शामिल करते हुए 10 (दस) क्षेत्रीय समितियों (Zonal Committees) का गठन निम्नरूपेण करते हैं:-

क्र०	क्षेत्रीय समिति की संख्या	संबंधित वार्ड	माननीय पार्षदों का नाम
1	1	1	श्री नकुल तिकी
		2	श्री गुन्दरा उरांव
		3	श्रीमती बसंती लकड़ा
		19	श्रीमती रोशनी खलखो
		30	श्रीमती रीमा देवी
2	2	4	श्रीमती हुस्ना आरा
		5	श्रीमती गायत्री देवी
		6	श्रीमती मोनिका खलखो
		7	श्रीमती सुजाता कच्छप
3	3	9	श्रीमती प्रीति रंजन
		8	श्रीमती वीणा अग्रवाल
		10	श्री अर्जुन कुमार यादव
		11	श्रीमती रंजू सिंह
		12	श्री कुलभूषण डुंगडुंग
4	4	13	श्रीमती पूनम देवी
		47	श्रीमती कविता सांगा
		14	श्री दिनेश राम
		15	श्रीमती जेरमिन कुजूर
		16	श्रीमती नाजिमा रजा
5	5	17	श्रीमती शबाना खान
		18	श्रीमती आशा देवी
		20	श्री सुनील कुमार यादव
		21	मो० एहतेशाम
		27	श्री ओम प्रकाश
6	6	28	श्रीमती रश्मि चौधरी
		29	श्रीमती सोनी परवीन
		22	श्रीमती नाजिया असलम
		23	श्रीमती साजदा खातून
		24	श्रीमती विजय लक्ष्मी सोनी
7	7	25	श्री अर्जुन राम
		26	श्री अरुण कुमार झा
		31	श्री अशोक यादव
		32	श्रीमती सुनीता देवी
		33	श्रीमती पुष्पा टोप्पो
		34	श्री विनोद कुमार सिंह
		35	श्री झरी लिंडा

*(Handwritten Signature)*


4

462

8	8	36	श्रीमती सविता कुजूर
		37	श्री आनन्द मूर्ति
		38	श्री दीपक कुमार लोहरा
		39	श्री वेद प्रकाश सिंह
		40	श्रीमती सुचिता रानी राय
9	9	41	श्रीमती उर्मिला यादव
		42	श्री कृष्ण महतो
		43	श्रीमती शशि सिंह
		44	श्री फिरोज आलम
		45	श्री नसीम गद्दी
		46	श्रीमती रीता मुण्डा
10	10	48	सुश्री मार्गेट मिंज
		49	श्रीमती जमीला खातून
		50	श्रीमती पुष्पा तिर्की
		51	श्रीमती सविता लिंडा
		52	श्री निरंजन कुमार
		53	श्रीमती निर्मला कच्छप (गाड़ी)

2. प्रत्येक क्षेत्रीय समिति का एक पृथक कार्यालय एवं एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्रीय समिति के वार्ड पार्षद स्वयं करेंगे।
3. क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल नगर निगम के समंतक होगा।
4. सभी समितियाँ नगरपालिका अधिनियम, की धारा-49 की उपधारा (6)(7)(9) एवं (10) के अध्यक्षीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


  
(अजय कुमार सिंह)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/101/2018/न०वि०आ०/..... 4305

राँची, दिनांक-23/08/18

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/101/2018/न०वि०आ०/..... 4305

राँची, दिनांक-23/08/18


प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-8/गठन/101/2018/न०वि०आ०/..... 4305

राँची, दिनांक-23/08/18

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची, झारखण्ड/उपायुक्त, राँची, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/नगर आयुक्त/राँची नगर निगम/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल कुमार, आई०टी०विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।